कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश,

द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(बेबसाईट www.tribal.mp.gov.in, ई-मेल:- trg.ctd@mp.gov.in., Phone No. 0755-2552950)

क्रमांक/तक.प्रशि./यू.पी.एस.सी./129/2022-23/ 19071 भोपाल, दिनांक 19/9/22

(संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं की कोचिंग हेतु विज्ञापन)

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022-23 में आयोजित होने वाली सिविल सेवा की विभिन्न स्तरों की परीक्षा(प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान 100 अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कोचिंग दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

01. **कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता:-**

1.1 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।

1.2 माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख (रूपये छः लाख) से अधिक न हो।

1.3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को, जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में (विगत तीन वर्षो में) उर्त्तीण हुए हों, को योजना का लाभ लेने के लिये प्रथमतः सीधे चयनित किया जावेगा तथा शेष सीटों के लिये जो आवेदक स्नातक उर्त्तीण है उनके लिये संकायवार सूची तैयार कर Arts/Commerce/Science/Engineeing Group/Medical Group हेतु स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर, मेरिट के आधार लक्ष्य अनुसार समान अनुपात में चयन किया जावेगा। किसी संकाय में आवेदन कम प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकाय में समान रूप से अंतरित की जावेगी। 5% सीटें गरीबी रेखा के नीचे के जरूरतमन्द होनहार विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगी।

1.4 अभ्यर्थी की आयु यू.पी.एस.सी. द्वारा वर्ष 2023 की सिविल सेवा (प्री.) की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित होगी। निर्धारित आयु सीमा से कम या अधिक होने पर अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा।

1.5 उक्त योजना में अभ्यर्थियों को योजना का लाभ एक बार ही प्राप्त होगा। पूर्व वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त अभ्यर्थी अपात्र माने जायेगें।

1.6 विभाग के MPTAASC पोर्टल में प्रोफाईल पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

2. **कोचिंग संस्थान का चयन:-**

अभ्यर्थी अपने विषय/विवेक के अनरूप नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं का चयन कर, कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे। अभ्यर्थी G.S., Optional Subject, CSAT, Basic English विषयों की कोचिंग एक से अधिक कोचिंग संस्थानों में कर सकेंगे, उक्तानुसार कोचिंग करने हेतु यदि कुल शुल्क 2.00 लाख से अधिक होती है, तो शासन द्वारा अधिकतम कोचिंग शुल्क 2.00 लाख का योजना अनुसार भुगतान किया जावेगा (G.S., Optional Subject की पूरी फीस का भुगतान किया जावेगा और बची राशि से CSAT, Basic English की आधी-आधी फीस का भुगतान किया जावेगा), शेष शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जावेगा। आवेदक को आवेदन में कोचिंग संस्थान की जानकारी (जिसमें कोचिंग करना है), उससे कोचिंग किये जाने वाले विषय(कोर्स) एवं उस विषय(कोर्स) हेतु संस्थान की फीस की जानकारी दर्शाई जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय द्वारा कोचिंग सस्था का सत्यापन पश्चात् भुगतान किया जावेगा।

3. **आवेदन प्रक्रियाः**

इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय की बेबसाईट www.tribal.mp.gov.in पर अपना प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त, अपना आवेदन-पत्र, पात्रता परीक्षा में सफल होने का प्रमाण की छायाप्रति सहित कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल में स्वयं उपस्थित होकर अथवा कार्यालय की ई-मेल trg.ctd@mp.gov.in पर (विषय में UPSC सिविल सेवा कोचिंग हेतु आवेदन - 2023 लिखकर) स्केन कॉपी पी.डी.एफ. फाईल में (प्रत्येक पृष्ठ स्वयं के द्वारा सत्यापित) दिनांक 20/09/2022 से 18/10/2022 तक प्रस्तुत करेंगें। स्केन कॉपी भेजने वाले उम्मीदवार हार्ड कॉपी भी कार्यालय में पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कार्यालय/ई-मेल.आई.डी. पर निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त/अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय के फोन नं. 0755-2552950 पर (कार्यालयीन समय तक) संपर्क कर सकते है।

4. आवेदन करने या प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18/10/2022 सायं 6:00 बजे है।

19/9/2022
उप आयुक्त
वास्ते आयुक्त,जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

4 TT 2022-23